



राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

क्रमांक:- एफ2(3)लागत/1019/1049

दिनांक : 04/7/19

-: कार्यालय आदेश :-

राजस्थान आवासन मण्डल की 237वीं बैठक दिनांक 20.6.2019 के बिन्दु संख्या 237.15 में क्रम संख्या 02 पर मण्डल के लागत सिद्धान्तों में संशोधन हेतु लिये गये निर्णयानुसार लागत सिद्धान्त-2010 के बिन्दु संख्या 4.6 के अन्तर्गत नवीन पंजीकरण योजनाओं के तहत अवाप्त भूमि की प्रारम्भिक लागत गणना करते समय भूमि अवाप्ति के पेटे भुगतान की गई सम्पूर्ण राशि पर एवं लागत सिद्धान्त-2010 के बिन्दु संख्या 6.3 के अन्तर्गत उनकी वर्षवार विकसित भूमि दर निर्धारण में प्रचलित वर्तमान ब्याज दर 12.00 प्रतिशत के स्थान पर 08.50 प्रतिशत से गणना की जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आवासन आयुक्त

क्रमांक:- एफ2(3)लागत/1019/1049

दिनांक : 04/7/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 01 निजी सचिव-अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 02 निजी सचिव-आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 03 निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 04 अति.मुख्य अभियन्ता, प्रथम/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 05 अति.मु. अभियन्ता (द्वितीय), राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
- 06 मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 07 उप आवासन आयुक्त, वृत्त-....., राजस्थान आवासन मण्डल,
- ✓08 संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
- 09 आवासीय अभियन्ता, खण्ड-....., राजस्थान आवासन मण्डल,
- 10 सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-....., राजस्थान आवासन मण्डल,
- 11 वरिष्ठ लेखाधिकारी,, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- 12 लेखाधिकारी, वृत्त-....., राजस्थान आवासन मण्डल,
- 13 रक्षित फाईल।

वित्तीय सलाहकार